

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—27 / 2005  
 संस्थित दिनांक—12.01.2005  
 फाईलिंग क.234503000352005

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी,  
 पश्चिम बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1—भूरू उर्फ मेहतर वल्द चम्हार, उम्र—45 वर्ष, जाति गोवारा,  
 निवासी—ग्राम बघोली, थाना परसवाड़ा,  
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—किर्री उर्फ रामेश्वर वल्द श्रीराम, उम्र—24 वर्ष, जाति कलार,  
 निवासी—ग्राम बघोली, थाना परसवाड़ा,  
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—सुमरन सोनकुसरे वल्द भूरेलाल, उम्र—45 वर्ष, जाति कलार  
 निवासी—ग्राम बघोली, थाना परसवाड़ा,  
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

4—लक्ष्मण वल्द सुक्कल मड़ावी, उम्र—30 वर्ष, जाति गोंड  
 निवासी—ग्राम बघोली, थाना परसवाड़ा,  
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक—13 / 10 / 2015 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—9, 32, 40 / 51 एवं धारा—26(1) भारतीय वन अधिनियम 1972 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—06.09.2004 को वन परिक्षेत्र बैहर, कक्ष क्रमांक—1463 में प्रवेश कर अवैध रूप से विद्युत तार लगाकर करंट से वन्य प्राणी चीतल की मृत्यु कारित की तथा उसका

मांस भक्षण करने के आशय से कुल्हाड़ी से काटकर आपस में बांट लिया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—06.09.2004 को वन परिक्षेत्र अधिकारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपीगण द्वारा एक राय होकर विद्युत तार बिछाकर वन्य प्राणी चीतल को मारकर उसे काटकर, चमड़ा अलग कर मांस काटकर आपस में बांट लिया तथा चमड़ा एवं अतड़ी को कन्हैया के तालाब में फेंक दिया है। उक्त घटना आरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक—1463 में कारित की गई थी और चीतल को घटनास्थल से उठाकर आरोपीगण द्वारा कन्हैयालाल के तालाब के पास चीतल को काटकर चमड़ा तालाब में फेंका गया था। आरोपीगण के पास से कुल्हाड़ी एवं छुरी एक नग जो मृत चीतल के चमड़े को निकालने व काटने के उपयोग में लाई गई थी और चीतल का एक पैर एवं दो सींग की जप्ती की गई थी। आरोपीगण द्वारा जुर्म करना कबूल किया गया, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर.क्रमांक—2808/13, धारा—9, 32, 40 एवं 51, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं धारा—26 भारतीय वन अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपीगण के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—9, 32, 40/51 एवं धारा—26(1) भारतीय वन अधिनियम 1972 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—06.09.2004 को वन परिक्षेत्र बैहर, कक्ष क्रमांक—1463 में प्रवेश कर अवैध रूप से विद्युत तार लगाकर करंट से वन्य प्राणी चीतल की मृत्यु कारित की तथा उसका मांस भक्षण करने के आशय से कुल्हाड़ी से काटकर आपस में बांट लिया ?

### विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— वनक्षेत्रपाल गेंदसिंह सैयाम (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक—06.09.04 को पश्चिम बैहर, बघोली क्षेत्र में परिक्षेत्र सहायक के पद पर पदस्थ था। बघोली मुख्यालय में परिक्षेत्र सहायक सालिकराम धुर्वे ने उसे दोपहर 12—1 बजे सूचना दिया था कि कुछ ग्रामीण द्वारा करंट लगाकर चीतल का शिकार किया गया है। मुखबिर के बताए अनुसार आरोपी भुरु, लक्ष्मण, सुमरन केरा उर्फ रामेश्वर जो ग्राम बघोली के निवासी है के द्वारा शिकार किया गया है। उसने उपरोक्त जानकारी के आधार पर आरोपीगण को बुलाकर मुखबिर के द्वारा दी गई सूचना की तस्दीक किया था। आरोपीगण की निशानदेही पर पंचो व गवाहों के समक्ष मारे गए चीतल का चमड़ा, जो कि आरोपीगण ने गांव के किनारे लगे तालाब के पानी में छिपाकर रखा था, जप्त किया था। घटनास्थल से खून का आलूदा लगी मिट्टी जप्त किया था तथा चीतल के सींग व अपराध में प्रयुक्त तार व कुल्हाड़ी जप्त किया था। उक्त जप्ती की कार्यवाही परिक्षेत्र सहायक सालिकराम के द्वारा की गई थी। वह सालिकराम के साथ हमराह गया था। उसने उपरोक्त तथ्यों पर स्थल पंचनामा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी भुरु, केरा उर्फ रामेश्वर, लक्ष्मण के कथन दिनांक—06.09.2004 को उनके बताए अनुसार लेख किया था। आरोपीगण ने बताया था कि उनके द्वारा शासकीय वन क्षेत्र बघोली में विद्युत लाईन से तार फंसाकर चीतल का शिकार किया था, जिसका मांस खाया है और चमड़ा कनिया तालाब में छिपाया है।

6— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि आरोपीगण के कथन प्रदर्श पी—2 लगायत प्रदर्श पी—5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के कथन पर उसके हस्ताक्षर छूट गए हैं, किन्तु उसके द्वारा ही लेखबद्ध किये गए हैं। साक्षी सालिकराम, बुधलाल, श्यामसिंह के कथन प्रदर्श पी—6, प्रदर्श पी—7 व प्रदर्श पी—8 है, जिसे उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी—9 के कथन उसने स्वयं के हस्ताक्षर से लेखकर प्रकरण संलग्न किया है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—10 बनाकर दिनांक—07.09.2004 को 1:00 बजे दोपहर को रेंज कार्यालय बघोली में आरोपीगण को गिरफ्तार किया था।

7— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जप्ती संबंधी किसी भी दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने वन्य प्राणी की अवशेष हड्डी, चमड़ा संबंधी कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। साक्षी ने

यह स्वीकार किया कि प्रकरण में वन्य प्राणी अवशेष की जांच व फॉरेंसिक रिपोर्ट संलग्न नहीं है।

8— सालिकराम (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-06.09.2004 को वह बघोली बीट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को दिन के 10:00 बजे बुधन और श्यामलाल ने आकर बताया था कि आरोपी भुरु, सुमरन, केरा, लक्ष्मण द्वारा करंट से चीतल मारकर खाया गया है तथा चमड़ा और पैर कनिया तालाब में फेंका गया है। फिर उसने जाकर रेंज ऑफिस जाकर बी.एस. सैय्याम को बताया था। बी.एस. सैय्याम द्वारा आरोपीगण को बुलाकर पूछताछ किया गया था, तो आरोपीगण ने करंट से चीतल मारना बताया था। चमड़ा और पैर तालाब में, भुरु के घर सींग, सुमरन के घर जी.आई. तार रखना बताया था। उसके द्वारा आरोपीगण ने चीतल का चमड़ा, सींग, तार, घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी जप्त कर पी.ओ.आर जारी किया गया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-11, 12, 13, 14 पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिस कुल्हाड़ी व छूरी से चीतल को काटा गया था, उसे भी जप्त किया गया था। जप्ती की कार्यवाही बुधन और श्यामलाल के समक्ष की गई थी। पी.ओ.आर प्रदर्श पी-15 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने सुपुर्दनामा प्रदर्श पी-16 तैयार कर घटनास्थल का नक्शा तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया था।

9— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मौकानक्शा में उसके हस्ताक्षर नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वनरक्षक को पी.ओ.आर के अलावा अन्य कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होता।

10— पी.एस. उइके (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-12.09.2004 को पश्चिम बैहर (सामान्य) में परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त प्रकरण में विवेचना में आई साक्ष्य के आधार पर उसके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-9, 32, 40, 51 व 26 (1) भारतीय वन अधिनियम का परिवाद पेश किया है, जो प्रदर्श पी-16 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा मात्र परिवादपत्र प्रस्तुत किया गया है।

11— बुद्धनलाल (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह सभी आरोपीगण को जानता है। आरोपीगण ने क्या अपराध किया, उसे जानकारी नहीं है।



उसके सामने वन विभाग वालों ने चीतल का चमड़ा आरोपीगण की निशानदेही पर कन्हैया के तालाब से जप्त नहीं किया था। चीतल का पैर कक्ष क्रमांक-1463 से जप्त नहीं किया था। असल पंचनामा प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त हस्ताक्षर उसने दरोगा साहब के कहने से कर दिया था। वह वन विभाग में काम करता है। उसके सामने आरोपी मेहतर ने प्रदर्श पी-2 तथा आरोपी सुमरन ने प्रदर्श पी-3 का बयान नहीं दिया था और रामेश्वर ने कोई बयान नहीं दिया था। बयान प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपी लक्ष्मण ने भी बयान नहीं दिया था, किन्तु बयान प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने वन विभाग वालों को बयान नहीं दिया था, बयान प्रदर्श पी-7 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त सभी कोरे कागज से उसने दरोगा साहब के कहने पर हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने आरोपीगण द्वारा चीतल को मारकर तालाब में फेंकने से इंकार किया है। साक्षी ने उसके सामने जप्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी-11 लगायत प्रदर्श पी-14 से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती की महत्वपूर्ण कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलों का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

12— श्यामसिंह (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। आरोपीगण ने चीतल को नहीं मारा था और न ही आरोपीगण से चीतल का चमड़ा जप्त किया गया था। पंचनामा प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी भूरू ने चीतल को मारने के संबंध में कोई बयान नहीं दिया था। बयान प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी सुमरन, लक्ष्मण ने कोई बयान नहीं दिया था, किन्तु बयान प्रदर्श पी-3, व प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने वन विभाग वालों को बयान नहीं दिया था। बयान प्रदर्श पी-7, प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त सभी पर हस्ताक्षर उसने सैय्याम के कहने पर हस्ताक्षर किया था। वह फॉरेस्ट में मजदूरी करता था, उसने डर के कारण हस्ताक्षर कर दिया था। साक्षी ने आरोपीगण द्वारा चीतल को मारकर तालाब में फेंकने से इंकार किया है। साक्षी ने उसके सामने जप्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी-11 लगायत प्रदर्श पी-14 से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती की महत्वपूर्ण कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलों का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

13— बालकराम (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह सभी आरोपीगण को जानता है। डिप्टी रेंजर साहब ने बताया था, कि आरोपीगण ने जंगली जानवर को मारा है और जाल जप्त करने के संबंध में बताया था। उक्त जाल तार था और उक्त सामान डिप्टी रेंजर के निवास पर था। वहां पर आरोपीगण नहीं थे। वह वहां अकेला था। साक्षी ने आरोपीगण से चीतल का चमड़ा, सींग, तार, कुल्हाड़ी व छुरी जप्त किये जाने से इंकार कर जानकारी न होना व्यक्त किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलों का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

14— कन्हैया (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। आरोपीगण ने क्या-क्या जानकारी दी थी, उसे जानकारी नहीं है। उसके सामने मौकापंचनामा नहीं बनाया गया था। मौकापंचनामा प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण से घटना के समय डिप्टी रेंजर सैय्याम द्वारा आरोपीगण से पूछताछ की गई थी और मृत चीतल का चमड़ा जप्त किया था। साक्षी ने आरोपीगण के द्वारा चीतल का शिकार करने का अपराध स्वीकार करने से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है।

15— गोरीलाल (अ.सा.8) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। आरोपीगण ने क्या किया, उसे जानकारी नहीं है। करीब 4 वर्ष पूर्व वह अपने साथ बाहेश्वर सिपाही के साथ ग्राम बघोली आया था, वहां ऑफिस में सैय्याम साहब डिप्टी रेंजर वगैरह थे और आरोपीगण भी थे। उससे बोले की पंचनामा में हस्ताक्षर कर दो, तो उसने स्थल पंचनामा प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पंचनामा किस चीज का था, वह नहीं जानता। वह वन विभाग में काम करता था, इसलिए ऑफिस आया था और उसने उसी कारण हस्ताक्षर किये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके सामने आरोपीगण से वनविभाग द्वारा पूछताछ की गई थी। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

16— अमीरचंद (अ.सा.9) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। वन अधिकारी ने आरोपीगण को उसके सामने गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-10 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उस समय वह इन्द्रा आवास बघोली वन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण

में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह वन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष था और समिति के कार्य से बघोली कार्यालय गया था, जहां पर उप वनक्षेत्रपाल के कहने पर उसने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। साक्षी ने उसके सामने कोई भी कार्यवाही करने से इंकार किया है। इसी प्रकार साक्षी दिमाकचंद (अ.सा.10) ने भी अपने कथन में अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है।

17— फूलचंद (अ.सा.11) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। वह आरोपी रामेश्वर नाग को भी नहीं जानता। उसके समक्ष स्थल पंचनामा की कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। स्थलपंचनामा प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके समक्ष स्थलपंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने सैय्याम साहब के कहने पर उक्त दस्तावेज में हस्ताक्षर किया था।

18— अन्य साक्षी दिमागचंद (अ.सा.10) ने आरोपीगण की गिरफ्तारी उसके सामने होने से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-10 पर हस्ताक्षर करते समय मौके पर आरोपीगण मौजूद नहीं थे।

19— प्रकरण में संपूर्ण विवेचना की कार्यवाही गेन्दसिंह सैय्याम (अ.सा.1) के द्वारा अकेले पूर्ण की गई है। जप्ती की कार्यवाही वनरक्षक सालिकराम (अ.सा.2) ने की है। यद्यपि उक्त वन अधिकारी की कार्यवाही का अन्य किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में महत्वपूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया है। जिन स्वतंत्र साक्षीगण को अभियोजन की ओर से पेश किया गया है, उन्होंने एकमत से अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि उनके सामने जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार आरोपीगण ने कथित चमड़ा व मांस जप्त किये जाने का किसी भी साक्षी ने समर्थन नहीं किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं अभियोजन का मामला आरोपी के बताने पर कथित रूप से चीतल का चमड़ा व पैर तालाब से जप्त किया गया है। ऐसी दशा में आरोपीगण से या उनके आधिपत्य से चीतल का चमड़ा व पैर जप्त नहीं है तथा अभियोजन का मामला आरोपीगण की स्वीकारोक्ति वाले बयान पर निर्भर है।

20— आरोपीगण की स्वीकारोक्ति वाले बयान लेख करने वाले विवेचक गेन्दसिंह सैय्याम (अ.सा.1) ने यह बताया है कि उसने आरोपीगण के कथन प्रदर्श पी-2

लगायत प्रदर्श पी-5 लेख किया था, जिसमें आरोपीगण ने बताया है कि उन्होंने वन क्षेत्र बघोली में विद्युत लाईन से तार फंसाकर चीतल का शिकार किया था, जिसका मांस खाया और चमड़ा तालाब में छुपाया है। साक्षी का यह भी कथन है कि आरोपी किरा उर्फ रामेश्वर के बयान में उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। आरोपीगण की स्वीकारोक्ति के कथन के स्वतंत्र साक्षीगण बुद्धनसिंह (अ.सा.4) एवं श्यामसिंह (अ.सा.5) ने उक्त स्वीकारोक्ति आरोपीगण द्वारा किये जाने से इंकार किया है। उक्त साक्षीगण ने जप्ती कार्यवाही से भी इंकार किया है। इस प्रकार आरोपीगण की कथित स्वीकारोक्ति के कथन का अन्य स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

21— मामले में आरोपीगण से कथित चीतल के चमड़े व पैर की जप्ती न होकर खुले स्थान तालाब से जप्ती किया जाना बताया गया है। ऐसी दशा में कथित जप्ती व बरामदगी आरोपीगण के बताने पर ही की गई है, इसके संबंध में अभियोजन की ओर से विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आरोपीगण की कथित स्वीकारोक्ति, जिसकी स्वतंत्र साक्षीगण से पुष्टि नहीं हुई है, ऐसी स्वीकारोक्ति मात्र के आधार पर अभियोजन का मामला अन्य संपुष्टि कारक साक्ष्य के अभाव में संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

22— आरोपीगण से कथित वन्य प्राणी के चमड़े व अवयव की विधिवत् जप्ती प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि आरोपीगण ने ही आरोपित अपराध कारित किया गया है। प्रकरण में विभागीय अधिकारी व कर्मचारी की कार्यवाही का किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है। मामलों में की गई तात्त्विक त्रुटिपूर्ण एवं संदेहास्पद कार्यवाही के आधार पर आरोपीगण को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

23— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने दिनांक-06.09.2004 को वन परिक्षेत्र बैहर, कक्ष क्रमांक-1463 में प्रवेश कर अवैध रूप से विद्युत तार लगाकर करंट से वन्य प्राणी चीतल की मृत्यु कारित की तथा उसका मांस भक्षण करने के आशय से कुल्हाड़ी से काटकर आपस में बांट लिया। फलस्वरूप आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-9, 32, 40/51 एवं धारा-26(1) भारतीय वन अधिनियम 1972 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।



24— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

25— मामले में आरोपी भुरू दिनांक—07.09.2004 से दिनांक—17.09.2004 तक तथा आरोपी सुमरन, किरा, लक्ष्मण दिनांक—07.09.2004 से दिनांक—13.09.2004 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहें है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण—पत्र तैयार किया जाये।

26— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मांस व चमड़ा विधिवत् नष्ट किये जाने की पूर्व से ही अनुमति प्रदान की गई है तथा शेष जप्तशुदा एक कुल्हाड़ी, मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट